

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2017/ फाल्गुन, 19, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 401
No. 92]	DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2017/PHALGUNA 19, 1938	[N.C.T.D. No. 401

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

माप और तौल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2017

सं. 7(63)/एमडब्ल्यूएम/2000/पीटी फाइल/6696-6705.— विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (थ) के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बारे में दिनांक 24 नवंबर, 2015 की पूर्व की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, की गई वस्तुओं अथवा किए जाने के लिए विलोपित की गई वस्तुओं को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, उक्त अधिनियम के आशय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में श्री शैलेश कुमार, सहायक नियंत्रक (माप और तौल) को दिनांक 24 नवंबर, 2015 से भूतलक्षी प्रभाव से सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
के. आर. मीना, सचिव, विधिक माप विज्ञान

DEPARTMENT OF WEIGHTS & MEASURES

NOTIFICATION

Delhi, 9th March, 2017

No. 7(63)/MWM/2000/PTFile/6696-6705.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 read with clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), and in supersession of the earlier notification dated 24th November, 2015 in this regard, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord to appoint Shri Shalesh Kumar, Asstt. Controller (Weights and Measures) to be the Asstt. Controller of Legal Metrology for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi with retrospective effect from 24th November, 2015.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

K.R. MEENA, Secy. Legal Metrology

1326 DG/2017